

ति

**REVALIDATION**

पत्रावली संख्या/V-338

पंजीकृत डाक द्वारा

**नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण**

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग  
मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ०प्र०)

संख्या:-नौएडा/मु०वा०नि०/V-338/2023/ 759

दिनांक: 27/3/23

सेवा में,

**M/s. Satyam Charitable Trust**  
**C-56A/14 & 15, Sector-62, Noida**  
**Uttar Pradesh**

विषय:- संस्थागत भूखण्ड संख्या सी-56ए/14 व 15, सेक्टर-62, नौएडा के स्वीकृत भवन मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया आपके द्वारा संस्थागत भूखण्ड संख्या सी-56ए/14 व 15, सेक्टर-62, नौएडा के दिनांक 18.08.2017 को स्वीकृति भवन मानचित्र के पुनर्वैधीकरण हेतु दिनांक 15.03.2023 को पुनर्वैधीकरण शुल्क के साथ अनुरोध किया है। प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्रों के पुनर्वैधीकरण हेतु जमा शुल्क का सत्यापन के आधार पर संदर्भित योजना के दिनांक 18.08.2017 को स्वीकृत मानचित्रों को पुनर्वैधीकरण किया जाता है। पुनर्वैधीकरण मानचित्रों की अधिकतम वैधता -5 वर्ष (दिनांक 18.08.2022 से 17.08.2027 तक) के लिए अनुमन्य होगी।

**अनुमन्य क्षेत्रफल का विवरण:-**


भूखण्ड का क्षेत्रफल	= 4024.44 वर्ग मी०
अनुमन्य भू-आच्छादन	= 1207.33 वर्ग मी०
अनुमन्य अनुमन्य एफ०ए०आर०	= 6066.66 वर्ग मी०

**स्वीकृत क्षेत्रफल का विवरण:-**


स्वीकृत भू-आच्छादन का क्षेत्रफल	= 891.11 वर्ग मी०
स्वीकृत एफ०ए०आर०	= 1842.36 वर्ग मी०
स्वीकृत तहखाना तल	= 772.04 वर्ग मी०
स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल	= 358.52 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० व नॉन एफ०ए०आर० सहित)	= 2972.92 वर्ग मी०

**पुनर्वैधीकरण क्षेत्रफल का विवरण:-**

स्वीकृत भू-आच्छादन का क्षेत्रफल	= 891.11 वर्ग मी०
स्वीकृत एफ०ए०आर०	= 1842.36 वर्ग मी०
स्वीकृत तहखाना तल	= 772.04 वर्ग मी०
स्वीकृत सेवा क्षेत्रफल	= 358.52 वर्ग मी०
कुल स्वीकृत क्षेत्रफल (एफ०ए०आर० व नॉन एफ०ए०आर० सहित)	= 2972.92 वर्ग मी०





**Coordinator IQAC**  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
Noida-201305

  
**Principal**  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
NOIDA-201305

**नियम व शर्तें:-**

1. संदर्भित भवन मानचित्र की स्वीकृति पत्र दिनांक 18.08.2017 में उल्लिखित शर्तें निम्नलिखित शर्तों के साथ यथावत रहेगी।
2. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
3. मानचित्रों की स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगर पालिका, नोएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित (एफेक्टिव) नहीं माना जाएगा।
4. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जाएगा।
5. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मागा जाएगा तो वह बिना किसी आपत्ति के देय होगा।
6. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सडक की ओर बढाव (प्रोजेक्टेड) न हों।
7. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य नहीं किया जायेगा।
8. आबंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सडक पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
9. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नोएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा।
10. आबंटी भूतल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त मान जायेगा।
11. सडक पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्तें पट्टेदार का पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुनर्जीवित करा लिया हो। पट्टे का अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आबंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रष्णगत क्षेत्र की हाईड्रोलोजी के दृष्टिगत रेनवाटर हार्वेस्टिंग/भू-जल दोहन की व्यवस्था केन्द्रीय भू-जल परिषद अथवा उत्तर प्रदेश भू-जल विभाग के प्राविधानों के अन्तर्गत करना होगा।
15. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए किसी भी दशा में भू-जल दोहन केन्द्रीय भू-जल प्राधिकरण से अनापत्ति पत्र प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा।
16. योजना में भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नोएडा प्राधिकरण से जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
17. आबंटी संस्था अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से पूर्व सेवा तल पर स्वीकृति मानचित्र में दर्शायी गई सेवाओं को स्थापित करेगा। ऐसे न करने की दशा में सेवा तल के प्रभावित भाग को बिना पूर्व सूचना के मुख्य एफ0ए0आर0 में गणना कर ली जायेगी।
18. भवन स्वामी व अन्य के विजिटर्स हेतु कार पार्किंग की व्यवस्था परिसर के भीतर ही करानी सुनिश्चित करें। सडक पर किसी भी प्रकार की पार्किंग न करें। उल्लंघन करने की दशा में आपके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
19. सन्दर्भित योजना में स्टिल्ट तल की ऊँचाई फर्श तल से बीम बॉटम (ग्राईगरी एवं सेकण्ड्री) से 2.40 मी0 तक रखना होगा तथा स्टिल्ट तल का उपयोग केवल पार्किंग हेतु अनुमत्त किया जायेगा। किसी अन्य उपयोग में किये जाने पर यह स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
20. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा-निर्देश - 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा।


  
**Coordinator IQAC**  
 Satyam College of Education  
 C-56A/14 & 15, Sector-62  
 Noida-201305


  
**Principal**  
 Satyam College of Education  
 C-56A/14 & 15, Sector-62,  
 NOIDA-201305



21. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल प्रार्थना पत्र संख्या 21/2012 वर्धमान कौशिक बनाम युनियन ऑफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.04.2015 को पूर्ण रूप से पालन करना होगा ।
22. सन्दर्भित योजना में Solid waste disposal System को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करने से पूर्व क्रियाशील करें ।
23. आवंटी को इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग की व्यवस्था परिसर के अन्दर करना अनिवार्य होगा ।
24. माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन आवंटी संस्था पर बाध्यकारी होगा ।
25. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 21/2014 में अलग-अलग तिथियों में पारित आदेशों के अनुपालन के क्रम में मुख्य सचिव, कार्यालय उ0प्र0 शासन के पत्रांक 1760/पी0एस0एम0एस0/2016 दिनांक 18.11.2016 तथा विशेष सचिव, पर्यावरण विभाग, उ0प्र0 शासन के पत्रांक संख्या 3595/नौ-5-206-29रिट/2014 दिनांक 08.11.2016 से जारी निर्देशों के अनुपालनार्थ निर्माण प्रक्रिया से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन करना होगा:-

1. Every builder/owner shall put tarpaulin on scaffolding around the area of construction and the building. No person including builder, owner can be permitted to store any construction material particularly sand on any part of the street, roads in any colony.
2. The construction material of any kind that is stored in the site will be fully covered in all respects so that it does not disperse in the air in any form.
3. All the construction material and debris shall be carried in the trucks or other vehicles which are fully covered and protected so as to ensure that the construction debris or the construction material does not get dispersed into the air or atmosphere, in any form whatsoever.
4. The dust emissions from the construction site should be completely controlled and all precautions taken in that behalf.
5. The vehicles carrying construction material and construction debris of any kind should be cleared before it is permitted to ply on the road after unloading of such material.
6. Every worker working on the construction site and involved in loading, unloading and carriage of construction material and construction debris shall be provided with mask to prevent inhalation of dust particles.
7. Every owner and/or builder shall be under obligation to provide all medical help, investigation and treatment to the workers involved in the construction of building and carry of construction material and debris relatable to dust emission.
8. It shall be the responsibility of every builder to transport construction material and debris waste to construction site, dumping site or any other place in accordance with rules and in terms of this order.
9. All builders/owners should take appropriate measures and strictly comply with by fixing sprinklers and creations of green air barriers on construction site. Compulsory use of wet-jet in grinding and stone cutting.
10. Wind breaking walls around construction site.
11. All builders shall ensure that C&D waste is transported and disposed to the C&D waste site only and due record in that behalf shall be maintained by the builders and transporters.
12. Use of covering sheets should be done for trucks to prevent dust dispersion from the trucks, implemented by district offices.
13. Proponent shall ensure that periodical auto maintenance report from the contractor to avoid vehicular pollution.
14. Proponent should manage transportation route for vehicles in a well-planned manner to avoid traffic havocs.
15. The entry and exit points design is very important as it should not disturb the existing traffic

  
 Coordinator IQAC  
 Satyam College of Education  
 C-56A/14 & 15, Sector-62,  
 Noida-201305

  
 Principal  
 Satyam College of Education  
 C-56A/14 & 15, Sector-62,  
 OIDA-201305





## नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भवन प्रकोष्ठ

मुख्य प्रशासनिक भवन सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्या:-नौएडा/मु0वा0नि0/2017/V-338/ 177

दिनांक:

18/8/17


मुख्य कार्यपालक अधिकारी  
नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण  
उत्तर प्रदेश


सेवा में,

M/s Satyam Charitable Trust,  
C - 56 A/14 & 15  
Sector - 62, Noida

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 28.04.2017 के संदर्भ में आप द्वारा प्रस्तावित संस्थागत भवन निर्माण की भूखण्ड सं0 सी - 56ए/14 व 15, सैक्टर - 62, नौएडा पर निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष (निर्माण अवधि होने की दशा में) तक वैध है।
2. मानचित्रों की इस स्वीकृति से इस भूखण्ड से सम्बन्धित किसी भी शासकीय निकाय जैसे (नगरपालिका, नौएडा प्राधिकरण) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से भी प्रभावित(एफेक्टेड) नहीं माना जायेगा।
3. भवन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
4. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मॉगा जायेगा तो वह किसी बिना आपत्ति के देय होगा।
5. दरवाजे व खिडकियाँ इस तरह से लगाये जायेंगे कि जब वह खुले तो उसके पल्ले किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव(प्रोजेक्टेड) न हों।
6. बिजली की लाईन से पाँच फुट के अन्दर कोई निर्माण कार्य न किया जायेगा।
7. आवंटी द्वारा भवन सामग्री भूखण्ड के सामने रखने से सड़क पर यातायात अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।
8. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट निर्माण स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों के स्पेसीफिकेशन नौएडा भवन नियमावली के नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा। आवंटी तहखाने का निर्माण कार्य पूरा करने के उपरान्त तहखाने का भवन प्रकोष्ठ विभाग नौएडा द्वारा निरीक्षण कराने के बाद ही भूतल का निर्माण कार्य शुरू करेगा। अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
9. आवंटी मेजेनाइज तल/अन्य तल का स्वीकृत मानचित्र के अनुसार ही निर्माण करायेगा अन्यथा स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
10. सड़क पर अथवा बैंक लेन में कोई रेम्प अथवा स्टेप्स नहीं बनाये जायेगे। वह कार्य अपनी ही भूमि पर करें।
11. आवंटी द्वारा जल एवं मल की निकासी की व्यवस्था का निरीक्षण नौएडा(भवन प्रकोष्ठ) विभाग द्वारा करायेगा एवं निरीक्षण के उपरान्त ही आवंटी उसे ढकेगा।
12. यह मानचित्र स्वीकृति की दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष की अवधि तक वैध रहेगा बशर्ते पट्टेदार को पट्टे के अधिकार उपलब्ध हों अथवा उसको पुर्नजीवित करा लिया हो। पट्टे के अधिकार उपलब्ध/पुनर्जीवित न होने की दशा में मानचित्र की वैधता, पट्टे की वैधता तिथि तक समझा जायेगा।
13. आवंटी को अधिभोग प्रमाण पत्र हेतु आवेदन करते समय सम्बन्धित विभाग से नियमानुसार समयवृद्धि पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
14. आवंटी निर्माण कार्य शुरू करने के बाद तहखाने की छत डालने से पूर्व कुर्सी तल पर एवं भूतल की छत डालने से पूर्व भवन प्रकोष्ठ नौएडा द्वारा भवन का निरीक्षण अवश्य करायेगा।

  
Coordinator IQAC  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
Noida-201305

  
Principal  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
NOIDA-201305

15. सन्दर्भित योजना में भूजल की अनधिकृत निकासी एवं दुरुपयोग नहीं किया जायेगा एवं प्रश्नगत क्षेत्र की हाइड्रोलॉजिकल रेनवाटर हावरेस्टिंग की व्यवस्था नियमानुसार करनी होगी एवं भवन निर्माण हेतु जलापूर्ति के लिए नौएडा प्रकल्प जल की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय भूजल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा भूजल संरक्षण इसके उपयोग तथा उसके निस्तारण के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों एवं आदेशों का अनुपालन करना होगा।
16. वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार के भवन निर्माण हेतु जारी दिशा - निर्देश, 2010 का पूर्णरूप से पालन करना होगा।


स्वीकृत मानचित्र इस पत्र के साथ संलग्न है, भवन कार्य मानचित्र की वैधता तिथि के अन्दर पूरा होने के उपरान्त अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र दें तथा बिना आज्ञा व प्रमाण लिए भवन को प्रयोग में ना लायें।

- भूखण्ड का क्षेत्रफल 4024.44 वर्ग मी०
- अनुमन्य भू-आच्छादित क्षेत्रफल @30% 1207.33 वर्ग मी०
- अनुमन्य एफ.ए.आर. @ 1.5 6036.66 वर्ग मी०
- अनुमन्य ऊँचाई कोई सीमा नहीं


विभिन्न तलों पर किये गये पुनरीक्षित क्षेत्रफल का तलवार विवरण निम्नानुसार है:-

तल	अनुमन्य एफ०ए०आर० (व०मी०)	दिनांक 26.07.07 को जारी अधिभोग में निर्मित एफ०ए०आर० (व०मी०)	प्रस्तावित एफ०ए०आर० (व०मी०)	कुल क्षेत्रफल (निर्मित+प्रस्तावित) एफ०ए०आर० (व०मी०)
भूतल	1207.33	663.16	193.21	856.37
प्रथम तल		651.26	193.21	844.47
द्वितीय तल		651.26	193.21	844.47
तृतीय तल		585.87	193.21	779.08
चतुर्थ तल		585.87	193.21	779.08
पंचम तल		585.87	193.21	779.08
छठा तल		95.98	683.10	779.08
कुल एफ.ए.आर.	6036.66	3819.27	1842.36	5661.63
वेसमेंट		1033.46	772.04	1805.50
सेवा क्षेत्रफल			358.52	358.52
कुल पूर्व निर्मित क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर० व सेवा क्षेत्रफल)			= 4852.73 वर्ग मीटर	
कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर० व सेवा क्षेत्रफल)			= 2972.92 वर्ग मीटर	
कुल निर्मित + प्रस्तावित क्षेत्रफल (एफ०ए०आर०, नॉन एफ०ए०आर० व सेवा क्षेत्रफल)			= 7825.65 वर्ग मीटर	

- प्रस्तावित भू-आच्छादन क्षेत्रफल = 891.11 वर्ग मी०
- निर्मित एफ०ए०आर० = 3819.27 वर्ग मी०
- प्रस्तावित एफ०ए०आर० = 1842.36 वर्ग मी०



Coordinator IQAC  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
Noida-201305



Principal  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
NOIDA-201305





की हाइ  
नोएडा प्र  
वा भूजल संरक्ष

सिट बैंक	अनुमत्य (मीटर)	भवन(मी०)	तहखाना(मी०)
अग्र	9.0	11.40	9.0
पृष्ठ	6.0	6.37	6.0
दाई साइड	6.0	6.00	6.0
बाई साइड	6.0	7.00	6.0


संलग्नक - भवन के स्वीकृत मानचित्र ।


Map for proposed Building is as per Bye  
Laws submitted for approval Please.

 Asst. Archt  
 Asst. Archt

नाम .....  
पद .....  
नोएडा के इमारत मंत्र  
वरिष्ठ नगर नियोजक  
नोएडा


प्रतिलिपि:- सहायक महाप्रबन्धक (संस्थागत) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

  
Coordinator IQAC  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
Noida-201305

  
Principal  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
NOIDA-201305

OWNERS ARCHITECTS

PRO-ADMIT PLAN OF INTERNATIONAL  
BUILDING ON PLOT NO. C-56A/14, C-56A/15  
SECTOR 62 NOIDA  
FOR MRS SATYAM CHARITABLE TRUST.




*[Signature]*

Coordinator IQAC  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62  
Noida-201305


*[Signature]*

Principal  
Satyam College of Education  
C-56A/14 & 15, Sector-62,  
NOIDA-201305






C-56A/14 & 15, Sector-62  
 Satyam College of Education  
 Noida-201305  
 Principal  
 Coordinator I/OAC  
 Satyam College of Ed  
 C-56A/14 & 15, Sector-62  
 Noida-201305



**AREA CHART**  
 PERM AT G.FL = 2000 x 1307.132 SQM  
 PERM FLOOR AREA = 6036.66 SQM (SATYAM NOS)  
 EXIST AT BASEMENT = 1001.50 SQM  
 PROP AT BASEMENT = 1001.50 SQM  
 EXIST AT G.FL = 1001.50 SQM  
 EXIST AT 1ST FLOOR = 1001.50 SQM  
 EXIST AT 2ND FLOOR = 1001.50 SQM  
 EXIST AT 3RD FLOOR = 1001.50 SQM  
 EXIST AT 4TH FLOOR = 1001.50 SQM  
 EXIST AT 5TH FLOOR = 1001.50 SQM  
 EXIST AT 6TH FLOOR = 1001.50 SQM  
 EXIST AT 7TH FLOOR = 1001.50 SQM  
 EXIST AT TERRACE = 1001.50 SQM  
 TOTAL PERM AREA = 1001.50 SQM  
 TOTAL PROP AREA = 1001.50 SQM  
 TOTAL EXIST AREA = 1001.50 SQM  
 TOTAL AREA = 1001.50 SQM

PERM ECS (PARKING) NO ECS OF SO SQM  
 = 6036.66 SQM (SATYAM NOS)  
 BASEMENT AREA = 1001.50 SQM  
 TOTAL PERM AREA = 1001.50 SQM  
 TOTAL PROP AREA = 1001.50 SQM  
 TOTAL EXIST AREA = 1001.50 SQM  
 TOTAL AREA = 1001.50 SQM



OWNERS ARCHITECTS  
 PROP ADDALAT PLAN OF THE INSTITUTIONAL BUILDING ON PLOT NO-C-56A/14 & 15, SECTOR-62 NOIDA FOR M/S SATYAM CHARITABLE TRUST



# AREA CHART

TOTAL PLOT AREA=4024.44 SQM  
 PERM AT G.FL=@30%=1207.332 SQM  
 PERM FAR@150%=6036.66 SQM  
 PERM SARVICE AREA @15%=303.60 SQM  
 EXIST AT BASEMENT=1033.46 SQM  
 PROP AT BASEMENT=1805.50-1033.46=772.04 SQM


EXIST AT G.FL=663.16 SQM+PROP AT G.FL=193.21 SQM TOTAL=856.37 SQM  
 EXIST AT F.FL=651.26 SQM+PROP AT F.FL=193.21 SQM TOTAL=844.47 SQM  
 EXIST AT S.FL=651.26 SQM+PROP AT S.FL=193.21 SQM TOTAL=844.47 SQM  
 EXIST AT T.FL=585.87 SQM+PROP AT T.FL=193.21 SQM TOTAL=779.08 SQM  
 EXIST AT 4T.FL=585.87 SQM+PROP AT 4T.FL=193.21 SQM TOTAL=779.08 SQM  
 EXIST AT 5T.FL=585.87 SQM+PROP AT 5T.FL=193.21 SQM TOTAL=779.08 SQM  
 EXIST AT 6TH.FL=95.98 SQM+PROP AT 6T.FL=683.10 SQM TOTAL=779.08 SQM  
 EXIST FAR ACHIVED=3819.27 SQM  
 PROP FAR ACHIVED=1842.36 SQM  
 TOTAL FAR ACHIVED=5661.63 SQM


PROP SER. AREA=(MUMTY+LIFT RM=67.16)+  
 (FIRE STAIR=19.74X7X2 nos=276.36 SQM+(G.RM=15.0 SQM)=358.52sqm  
 TOTAL PROP AREA=772.04+1842.36+358.52=2972.92 SQM

PERM ECS/PARKING=1 NO ECS OF 50 SQM  
 =6036.66/50=120.73 NOS (SAY=121 NOS)  
 BASEMENT AREA= 58 NOS (1805.50-65.50 STAIR = 1740.0m<sup>2</sup>/30=58 NOS)  
 OPEN/SURFACE AREA=63 NOS  
 TOTAL PROV. ECS =121.00 NOS


LANDSCAPING  
 PERM TREE=1 NO TREE OF 100.0 SQM OPEN  
 AREA=4024.44-891.11=3133.33/100=31.33 NOS  
 PROV TREE=32.00 NOS  
 PERM AT GREEN AREA=25% OF OPEN AREA  
 =3133.33/4=778.3325 SQM  
 PROV GREEN AREA=827.20 SQM (A+B+C+D+E)  
 (180+66+81+827.0+173.20=827.20m<sup>2</sup>)


PROP.ADD/ALT PLAN OF THE INSTITUTIONAL  
 BUILDING ON PLOT NO-C-56A/14 C-56A/15  
 SECTOR-62 NOIDA  
 FOR M/S SATYAM CHARITABLE TRUST

  
**Coordinator IQAC**  
 Satyam College of Education  
 C-56A/14 & 15, Sector-62  
 Noida-201305

  
 Auth. Signatory

**OWNERS**

  
 NILESH TRAIANA  
 ARCHITECT  
 G.A. No.-89/0148

  
**Principal**  
 Satyam College of Education  
 C-56A/14 & 15, Sector-62  
 NOIDA-201305

**ARCHITECTS**